

पत्र सूचना शाखा
(मुख्यमंत्री सूचना परिसर)
सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, उ०प्र०

मुख्यमंत्री ने उ०प्र० पुलिस बल में आरक्षी नागरिक पुलिस के पद पर भर्ती हेतु जारी प्रक्रिया में सभी वर्गों के अभ्यर्थियों के लिए उच्चतम आयु सीमा में तीन वर्ष की छूट प्रदान करने का निर्णय लिया

प्रदेश सरकार युवाओं के हितों और उनके उज्ज्वल भविष्य के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध : मुख्यमंत्री

प्रदेश पुलिस बल में प्रतिवर्ष लगभग 10,000 नयी रिक्तियां अनुमानित

लखनऊ : 26 दिसम्बर, 2023

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने युवाओं के हित में उत्तर प्रदेश पुलिस बल में आरक्षी नागरिक पुलिस के पद पर भर्ती हेतु जारी प्रक्रिया में सभी वर्गों के अभ्यर्थियों के लिए उच्चतम आयु सीमा में तीन वर्ष की छूट प्रदान करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रदेश सरकार युवाओं के हितों और उनके उज्ज्वल भविष्य के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। इसके दृष्टिगत यह निर्णय लिया गया है।

यह जानकारी आज यहां देते हुए राज्य सरकार के प्रवक्ता ने कहा कि प्रदेश पुलिस बल में प्रतिवर्ष लगभग 10,000 नयी रिक्तियां अनुमानित हैं।